



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-21

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261374 दिनांक 13/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Heramb Kumar Mishra S/o Satish Kumar Mishra	श्री ताराचन्द पुत्र श्री गुल्या	218	45.00 SQ. METER	JDA	ANUPAM VIHAR	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री हेरम्ब कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश कुमार मिश्रा द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना अनुपम विहार के भूखण्ड संख्या ए-218 क्षेत्रफल 45.00 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 17.04.2013 द्वारा श्री ताराचन्द पुत्र श्री गुल्या के पक्ष में जारी की गयी है। तत्पश्चात रजि. मु.आम दिनांक 10.02.2014 को श्री ताराचन्द



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								पुत्र श्री गुल्या द्वारा श्री अनिल कुमार चौधरी एचयूएफ पुत्र स्व. श्री राजकुमार चौधरी को मु.आम नियुक्त किया गया एवं बेचान के अधिकार भी प्रदान किये गये। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार चौधरी एचयूएफ बहैसियत मु.आम श्री ताराचन्द द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.03.2014 को श्री घनश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री गंगा सहाय को बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री श्री घनश्याम शर्मा द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2014 को आवेदक श्री हेरम्ब कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश कुमार मिश्रा को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Heramb Kumar Mishra S/o Satish Kumar Mishra को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |